A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

अधिकारी— अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मेसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
40 / अपील / 19	02.04.2019	18.03.2021

माधो आ0 गेन्दया जाति माली निवासी ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्यारसीबाई पुत्री गेन्दया पत्नी रोडू जाति माली निवासी ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामधन आ0 पेमा जाति माली निवासी ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रामदेव आ0 पेमा जाति माली निवासी ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. धापू पत्नी पेमा जाति माली निवासी ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. घीसी पुत्री पेमा पत्नी प्रभूलाल जाति माली निवासी घाणा पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. हेमराज आ0 बीरमा जाति माली निवासी घाणा पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
7. नरेन्द्र आ0 बीरमा जाति माली निवासी घाणा पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
8. कजोडी पत्नी बीरमा जाति माली निवासी घाणा पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
9. आशा पुत्री बीरमा जाति माली निवासी घाणा पाडा हिण्डोली नाबालिग जर्ये संरक्षक माता कजोडी बाई पत्नी बीरमा जाति माली निवासी घाणा पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।
11. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली, जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ड

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से श्री शम्भूलाल शर्मा एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो0 संख्या 10 व 11 की ओर से पेरोकार सरकार

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 2

निर्णय

अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण दिनांक 14.06.2016 वाके ग्राम अमरत्या पटवार मण्डल अमरत्या तहसील से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा सख्या 6151/5909 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम अमरत्या खातेदार गेन्दया की मृत्यु के उपरांत गेन्दया के स्थान पर अपीलांट माधो के साथ रामधन, बीरमा, रामदेव पिता पेमा व घींसी पुत्री पेमा व धापू पत्नी पेमा व ग्यारसी पुत्री पेमा के नाम दर्ज की गई है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम अमरत्या तहसील हिण्डोली में खसरा सख्या 6151/5909 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम अमरत्या भूमि मृतक खातेदार गेन्दया के नाम दर्ज है। गेन्दया की मृत्यु के बाद विवादित नामान्तरकरण गेन्दया के स्थान पर अपीलांट माधो के साथ रामधन, बीरमा, रामदेव पिता पेमा व घींसी पुत्री पेमा व धापू पत्नी पेमा व ग्यारसी पुत्री पेमा के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि मृतक खातेदार गेन्दया के पुराने खसरा संख्या 35 रकबा 6 बीघा जो मृतक गेन्दया को दिनांक 31.05.1968 को आंवटित हुई थी। आवंटित भूमि खसरा संख्या 3596 रकबा 6 बीघा भू0 प्रबंध के दौरान नये खसरा संख्या 6151/5909 रकबा 6 बीघा बने। मृतक खातेदार उक्त भूमि पर जीवनपर्यन्त कब्जाकाश्त रहे है। आवंटित भूमि होने से उक्त भूमि मृतक गेन्दया जी की स्वअर्जित भूमि होने से मृतक गेन्दया जी ने उक्त भूमि को दिनांक 25.09.1980 को माधो के नाम वसीयत कर उक्त वसीयत को उप पंजीयक हिण्डोली के यंहा पंजीकृत करवा दिया था। खातेदार मृतक गेन्दया जी की देहान्त के बाद उक्त भूमि पर अपीलांट कब्जाकाश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट को बिना सुने व वसीयत के तथ्य पर गौर नहीं कर विवादित नामान्तरकरण कर तस्दीक कर दिया गया हैं जो विधि अनुकूल नहीं है। पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम संपूर्ण भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। गेन्दया जी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का को वसीयत की प्रतिमय प्रार्थना पत्र के पेश की गई थी। मृतक गेन्दया के अन्य वारिसान का नाम विवादित नामान्तरकरण में दर्ज किया गया है जो विधि अनुकूल नहीं है। विवादित नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को के0सी0सी0 के ऋण प्राप्त करने हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 15.03.2019 को पटवारी हल्का से नकल की जानकारी पर ज्ञात हुआ कि मृतक गेन्दया जी के संपूर्ण वारिसान का नाम अपीलांट के साथ दर्ज कर दिया गया है। नकल दिनांक 27.03.2019 को प्राप्त हुई। दिनांक 29.03.2019 को अभिभाषक महोदय से संपर्क कर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। नामान्तरकरण की नकल दिनांक 27.03.2019 को प्राप्त होने पर ज्ञान की तिथी से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जाकर वसीयत के आधार पर संपूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करे।

रकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार हिण्डोली
यों को रिकार्ड पर लिये बिना ही विवादित नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया
अतः प्रकरण को पुनः प्रेषित किया जाकर सभी वारिसान को सुनवाई का समुचित
प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जाना विधि अनुकूल होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण संख्या 594 दिनांक 14.06.2016 से मृतक गेन्दया के स्थान पर अपीलांट के साथ अन्य वारिसान का नाम दर्ज किया गया है। अपीलांट का यह तर्क है कि मृतक गेन्दया को विवादित भूमि आवंटन से प्राप्त हुई है जो मृतक गेन्दया की स्वअर्जित भूमि है जिसकी वसीयत अपीलांट के पक्ष में मृतक गेन्दया द्वारा दिनांक 25.09.1980 की गई है। वकील अपीलांट द्वारा फर्द दस्तावेज सूची के साथ नामान्तरकरण की प्रति पेश की गई है, जिससे आवंटन के पश्चात गेन्दया गैर खातेदार दर्ज हुआ, जिससे यह प्रमाणित है कि मृतक गेन्दया को उक्त विवादित भूमि आवंटन से प्राप्त हुई है जो उसकी स्वअर्जित भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत के तथ्य पर प्रथमदृष्टया कोई गौर नहीं किया गया है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 594 दिनांक 14.06.2016 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार गेन्दया के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)